



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2251]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2016/भाद्र 24, 1938

No. 2251]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2016/BHADRA 24, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2016

का.आ. 2953(अ).—दिल्ली संयुक्त भवन उपनियम, 2016 (अनुलग्नक II, पैरा 1.14) के उपबन्धों तथा इसमें किए गए संशोधनों के अनुसरण में सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ विरासत संरक्षण समिति (एचसीपी) को भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित करने का अनुमोदन कर दिया है :

1. विशेष सचिव/अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय - अध्यक्ष
2. अपर महानिदेशक (वास्तुकला) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग - सदस्य
3. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य
4. मुख्य नगर नियोजक, दिल्ली नगर निगम - सदस्य
5. आयुक्त (नियोजन), दिल्ली विकास प्राधिकरण - सदस्य
6. मुख्य वास्तुकार, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् - सदस्य
7. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रतिनिधि - सदस्य
8. मुख्य अभियंता (संरचना) केन्द्रीय डिजाइन संगठन,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग - सदस्य

9. श्री संजय पुरी (शहरी डिजाइनर) (संजय पुरी, वास्तुकार, महालक्ष्मी मुम्बई के प्रधान वास्तुकार) - सदस्य
 10. डॉ. पारूल पांड्याधर (इतिहासकार) (एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) - सदस्य
 11. सुश्री वर्तिका शर्मा (संरक्षण वास्तुकार) (अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय) - सदस्य
 12. आचार्य डॉ. रोमिल मेहता (पर्यावरणविद्) (प्रोफेसर, भू-दृश्य वास्तु विभाग, एसपीए, नई दिल्ली) - सदस्य
 13. निदेशक, भारतीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय - सदस्य
 14. सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग - सदस्य सचिव
2. समिति के विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली एकीकृत भवन उप-नियम, 2016 के अनुलग्नक-II के पैरा 1.15 के अनुसार होंगे।

[फा. सं. के-12016/6/2003-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2016

S.O. 2953(E).—In pursuance to Clause 7.26 (Annexure II, para 1.14) of Unified Building Bye-Laws for Delhi, 2016 and modifications made therein, the Government has approved the reconstitution of the Heritage Conservation Committee (HCC) with the following members for a period of three years with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

1. Special Secretary/Addl. Secretary, Ministry of Urban Development - Chairman
2. Addl. DG (Architecture), CPWD - Member
3. Chief Planner, Town & Country Planning Organisation - Member
4. Chief Town Planner, MCD - Member
5. Commissioner (Plg.), DDA - Member
6. Chief Architect, NDMC - Member
7. Representative of DG, Archeological Survey of India - Member
8. Chief Engineer (Structure) in the Central Design Organization, CPWD - Member

-
- | | | | |
|-----|--|---|------------------|
| 9. | Shri Sanjay Puri (Urban Designer) [Principal Architect of Sanjay Puri Architects, Mahalaxmi, Mumbai] | - | Member |
| 10. | Dr. Parul Pandya Dhar (Historian) [Associate Professor, Department of History, University of Delhi] | - | Member |
| 11. | Ms. Vertika Sharma (Conservation Architect) [Advocate, Delhi High Court] | - | Member |
| 12. | Prof. Dr. Rommel Mehta (Environmentalist) [Professor, Landscape Architecture Department, SPA, New Delhi] | - | Member |
| 13. | Director, National Museum of National History | - | Member |
| 14. | Secretary, DUAC | - | Member Secretary |

2. Terms of reference of the Committee shall *inter alia*, be as per para 1.15 of Annexure-II of Unified Building Bye-Laws for Delhi, 2016.

[F. No. K-12016/6/2003-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.